भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1306

उत्तर देने की तारीख 27 जुलाई, 2026

सोमवार, 5 श्रावण, 1948 (शक)

पश्चिम बंगाल में विकास योजनाएं

†1306.श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के जरिए पश्चिम बंगाल सहित देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई योजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य सहित पूरे देश के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनः कौशलीकरण प्रदान करना है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम: इस स्कीम का उद्देश्य 15-45 वर्ष की आयु वर्ग के निरक्षर, नव-साक्षर, प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों और 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। दिव्यांगजनों और अन्य पात्र व्यक्तियों के लिए आयु में छूट दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी निम्न-आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस): यह योजना प्रशिक्षु प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं को वजीफा भुगतान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): यह योजना देशभर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई कई आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हुए विभिन्न व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिसका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।

वित्त वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक (30.06.2026 तक) एमएसडीई की प्रमुख कौशल विकास योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षित/अभिविन्यस्त/नियोजित/नामांकित उम्मीदवारों की योजनावार संख्या निम्नलिखित है:

वित्त वर्ष	**एमएसडीई की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित/अभिविन्यस्त उम्मीदवारों की संख्या**			
	पीएमकेवीवाई	**जेएसएस**	**एनएपीएस (नियोजित किए गए शिक्षु)**	**सीटीएस* (नामांकित उम्मीदवार)**
2023-24	25,768	12,599	29,538	37,711
2024-25	36,410	13,133	23,324	44,211
2025-26	3,916	14,118	35,153	40,216
2026-27 (दिनांक 30.06.2026 तक)	1,301	60	8,531	42,323

* सत्र 2022 से 2025 तक
